न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 06 / 22
RCMS NO-2022/ 113

सन् 2022

बउनवानीः—1.कालूराम पुत्र अर्जुन मीना निवासी मऊ (सुनारी) तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. दिनेश पुत्र अर्जुन मीना निवासी मऊ (सुनारी) तहसील सवाईमाधोपुर
3. ऋषिकेश पुत्र अर्जुन मीना निवासी मऊ (सुनारी) तहसील सवाईमाधोपुर
4. राकेश पुत्र अर्जुन मीना निवासी मऊ (सुनारी) तहसील सवाईमाधोपुर
5. ताराचन्द पुत्र अर्जुन मीना निवासी मऊ (सुनारी) तहसील सवाईमाधोपुर
6. गुलबाई पुत्री अर्जुन मीना निवासी मऊ (सुनारी) तहसील सवाईमाधोपुर
7. दिलबर पुत्री अर्जुन मीना निवासी मऊ (सुनारी) तहसील सवाईमाधोपुर
8. पार्वती पत्नि अर्जुन मीना निवासी मऊ (सुनारी) तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 687 निर्णय दिनांक 22.6.2018 वाके ग्राम मऊ पटवार हल्का सुनारी,तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री मुकेश बंसल — वकील अपीलान्ट
2. श्री विनोद कुमार शर्मा — नायब तहसीलदार पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक 31.5.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 687 निर्णय दिनांक 22.6.2018 वाके ग्राम मऊ, तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 2 लगायत 8 मृतक अर्जुन पुत्र मोहन लाल के वारिसान है जिनकी आराजी खाता संख्या नया 83 किता 10 कुल रकबा 3.40 है0 वाके ग्राम मऊ मे स्थित है। यह है कि अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 8 के पिता अर्जुन का देहान्त होने पर उक्त आराजीयात का अर्जुन के वारिसान के नाम से नामा0 संख्या 687 भरकर दिनांक 22.6.2018 को दर्ज फैसल किया गया है जिसमें अपीलान्ट का नाम कालूराम के स्थान पर राजेन्द्र कर दिया है। जबकि अपीलान्ट का सही नाम कालूराम है

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.06.24 13:11:35 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट का सही नाम कालूराम पुत्र अर्जुन मीना ही है तथा इसी नाम से प्रार्थी के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड,, जनाधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, ई-श्रमिक कार्ड, बैंक की पासबुक इत्यादि बनी हुई है। यह तर्क भी दिया मृतक अर्जुन के राजेन्द्र नाम का कोई पुत्र नही था। यह कथन भी किया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी केसीसी बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल लेने पर दिनांक 18.6.2022 को प्राप्त हुई है। अतः जानकारी प्राप्त होने से लेकर नकल प्राप्त होने के अवधि से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 687 दिनांक 22.6.2018 को तस्दीक करते समय अपीलान्ट कालूराम का नाम राजेन्द्र कर दिया गया है यद्यपि रेस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ है इसलिए यदि रेस्पो0 की सहमति से अपीलान्ट का नाम सही किया जाना उचित रहेगा। अपीलान्ट का नाम सही किये जाने से राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नही हो रहा है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि आदेश जैर अपील में वकील अपीलान्ट द्वारा अपना नाम कालूराम के स्थान पर राजेन्द्र कर दिया जाना बताया है एवं अपीलान्ट का सही नाम कालूराम होने बाबत कथन किया है एवं कथन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज यथा अपीलान्ट का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड , जनाधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, ई-श्रमिक कार्ड, बैंक की पासबुक इत्यादि से अपीलान्ट का सही नाम राजेन्द्र के स्थान पर कालूराम होने की आंशिक पुष्टि होती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह सिद्व होता है कि आदेश जैर अपील में अपीलान्ट का गलत नाम अंकित कर दिया जाने के कारण आदेश जैर अपील विधिसम्मत नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 687 निर्णय दिनांक 22.6.2018) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को अपना सही नाम राजेन्द्र के स्थान पर कालूराम होने की पुष्टि से संबंधित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:11:57 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner